न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

वाद संख्या– M–19/2017, धारा–107 द०प्र०सं०

काजल मलिक वगैरह.....प्रथम पक्ष।

बनाम

प्रकाश दत्ता वगैरह.....द्वितीय पक्ष।

तिथि	आदेश
20/11/2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, तमाड़ के अप्राथमिकी संख्या–05/17 दिनांक–12/02/17 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा 107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है, दोनों पक्षों अपने उपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक–दूसरे पर शांतिभंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद दुकान में बिक्री एवं ग्राहक को बुलाने को लेकर मारपीट के कारण उभय पक्ष में हुए तनाव के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष गवाहीः– प्रथम पक्ष की ओर से एक मात्र गवाह काजल मलिक (पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मेरे साथ प्रकाश दत्ता, प्रियंका दत्ता और छाया देवी मारपीट किए थे। द्वितीय पक्ष द्वारा मारपीट करने के बाद हमलोग तमाड़ थाना गए वहाँ के बाद अस्पताल गए जहाँ हमलोगों का ईलाज हुआ। ऐसी बात नहीं है कि हमलोग सुबह उठ कर द्वितीय पक्ष को गाली–गलौज करते है। ऐसी बात नहीं है कि द्वितीय पक्ष को गाली इसलिए देते है कि वे घर छोड़कर भाग जाए। उभय पक्ष में लड़ाई–झगड़ा रोज होता है। द्वितीय पक्ष बोलता है तो हमलोग भी बोलते है। मेरे पति द्वितीय पक्ष को गन्दा–गन्दा गाली नहीं देते है। द्वितीय पक्ष के लोग रोज गाली–गलौज करता है किन्तु आज नहीं किया है। इस केस को छोड़कर इसके पहले उभय पक्ष में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। द्वितीय पक्ष गवाहीः– द्वितीय पक्ष की ओर से एक मात्र गवाह प्रकाश दत्ता (पार्टी गवाह) द्वारा अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया गया है कि प्रथम पक्ष से हमलोग का लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष सुबह से शाम तक गाली–गलौज करता है। प्रथम पक्ष झुठ–मूठ का मेरे ऊपर मारपीट का केस कर दिया है। मेरे ऊपर प्रथम पक्ष मारपीट का आरोप लगाया है। काजल मलिक और पंकज मलिक (प्रथम पक्ष) के बीच में हमेशा लड़ाई–झगड़ा होता है। पंकज मलिक गांजा का सेवन करते है। दोनों के बीच में जो झगड़ा होता है। उसका सबूत के रूप में मेरे पास रिर्काडिंग है, मैं ब्लेकमेल के लिए रिर्काडिंग नहीं किया हूँ। मेरे साथ गाली–गलौज करता है। इसलिए रिर्काडिंग किया हूँ। केस चलने के बाद प्रथम पक्ष से एक बार भी लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में दूकान में बिक्री को लेकर आपसी प्रतिस्पर्द्धा एवं द्वेष के कारण विवाद है। इस वाद में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। किन्तु उनके साथ घटित घटना की पुष्टि करने हेतु एक भी स्वतंत्र गवाह प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। कृ०पृ०उ०

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष पर नशा करके गाली–गलौज करने का आरोप लगाया गया है किन्तु उनके द्वारा भी आरोप का पुष्टि करने हेतु एक भी स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किए गए। वाद की कार्रवाई के दौरान भी उभय पक्ष शांति भंग होने के संभावना की पुष्टि करने में असमर्थ रहे है।

अतः इस वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापति एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

20/11/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।